तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शिभूदान बनाम कैलाशदान

30-10-25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्ष को धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 17–11–2025 को पेश हो।

17-11-25

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी जा चुकी है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा मियांद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 14 मिन रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा पोलजी वाला ग्राम मुरीदसर के बाबत अन्तर्गत धारा 88, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01–06–2017 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 3 के तहत आदेश पारित करते हुए अपीलांट का दावा खारिज किया गया था। जिस पर अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 24–05–2017 को प्रस्तुत की है। प्रकरण का निस्तारण जहॉ पर गुणावगुण पर होना चाहिए।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन करते हुए कहा कि यह कि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 2 लीछूदान के निसंतान अविवाहित फौत हो जाने के अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसका नाम सूट–टाईटल से तर्क कर दिया गया था। दौराने दावा प्रतिवादी धोकलदान के फौत हो जाने पर 11.04.2002 को उसके जायज वारिसान व कायम मुकामान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/11 प्रतिस्थापित किये जाकर संशोधित टाईटल दिनांक 12.04.2002 को न्यायालय द्वारा, रेकार्ड पर ले लिया गया था । तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1/11/6 की मृत्यु हो चुकी है जिसका वादीगण संख्या 1 के बीकनेर रहने और वादीनी संख्या 3 व 4 के अपनी ससुराल में रहने के लिए ज्ञान नहीं हुआ। जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत वकील प्रतिवादी के द्वारा इस आशय की सूचना अदालत में पेश करना कानूनन लाजिमी था जो पेश नहीं होने के कारण वादीगण को उक्त फौतगी का पता नहीं चला। निर्णय जैर अपील की जानकारी

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट शिम्भूराम को दिनांक 14.05.2017 को तब मिली, जब गांव मूंजासर अपने परिवार के पास बीकानेर से गया क्योंकि अपीलांट शिम्भूराम की पत्नी गोमती देवी के मूंजासर में सख्त बीमार होने का समाचार आया था। वहां गोमती देवी को लू लग गई थी। इस कारण अपीलांट शिम्भूराम को मूंजासर रूकना पड़ा। अगले दिन 15.05.2017 को स्व. हड़मानदान का बेटा कैलाश दान मिला जिसने अपीलांट (शिम्भूदान) को ताना मारा कि उन्होनें नोखा वाला रेवेन्यू केस खारिज करवा दिया है। चूंकि हस्तगत वाद की देखरेख और पैरवी का जिम्मे वादी दयालूराम उर्फ रामदयाल को सौंपा हुआ था और दयालूराम ही वकील लक्ष्मीनारायण से मिलता या उसके कहे अनुसार पैरवी करता था। दयालूराम उर्फ रामदयाल कुछ बरसो से मानसिक रूप से बीमार चला आ रहा है और इस बीमारी के लम्बे उपचार से गुजरा है। अपीलांट संख्या 1 इ.गा.न.परि. में सर्विस करता था और उसकी स्थानान्तरण पोस्टिंग जगह जगह होते रहने के कारण दयालूराम को मुकदमा की देखभाल का जिम्मा दिया हुआ था। अपीलांटान संख्या 2 व 3 स्वयं अपनी अपनी ससुराल रहती है और उनकी अपने हिस्से की जमीन जब कभी फैसला होने पर अपने भाईयो को ही देने/उनके लिये हक हिस्सा छोड़ने की नीति के चलते मुकदमें की कुल पैरवी दयालूराम के भरोसे ही उन्होनें छोड रखी है। मानसिक बीमारी के चलते दयालूराम ने अपीलांटान को कभी यह बताया ही नहीं कि वह लापरवाही कर रहा है। ता. 15.05.2017 को कैलाशदान के ताने की असलियत का पता करने अपीलांट शिम्भूदान ता. 16.05.2017 को नोखा गया तो वकील लक्ष्मीनारायण वहां (नोखा) उस दिन कचहरी में नहीं मिले। अपीलांट (शिम्भूराम) ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के बाबूओं से पूछताछ कर पत्रावली निकलवा कर देखी तो निर्णय जैर अपील का प्रथम वार दिनांक 16.05.2017 के ज्ञान हुआ और प्रमाणित प्रतिलिपि का तत्काल प्रार्थना पत्र अपीलांट शिम्भूराम ने पेश किया। अगले दिन 17.05.2017 की शाम को दफ्तर बंद होने से पहले नकल निर्णय जैर अपील मिली तो 19.05.2017 को बीकानेर आकर वकील लक्ष्मीनारायण जी को ओलमा दिया कि आपने हमारी गवाही नहीं करवाई। कहते रहे कोर्टो के पास टाईम नहीं है – जरूरत पड़ेगी तो दयालूराम को इतिला कर दूंगा। आपने कैस खारिज लापरवाही से करवा दिया और हमारे को कोई खबर भी नहीं की तो बोले मुझसे भूल हो गयी। फाईल ही ध्यान से निकल गई । अपील के लिये उन्हें कहा तो मना कर दिया और हमारी फाईल जस की तस वापिस अपीलांट शिम्भुराम को लौटा दी। अगले दिन अपीलांट शिम्भुराम अपने पुराने वकील श्री सुरेशचन्द जी से मिला। केस को समझने अपील तैयार करने, अपील का

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खर्चा मेहनताना का इन्तजाम करने में जो चन्द रोज का समय लगा, वह अहम मजबूरी थी अपनी ओर से नकल फैसला मिलने के पश्चात् अनावश्यक कोई समय जाया नहीं किया है विलम्ब या लापरवाही नहीं की है। तारीख इल्म फैसला दिनांक 17.05.2017 को होने पर शीघ्रातिशीघ्र यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2023 (2) पेज 1115, सीसीसी 2017(3) पेज 860, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरटी 2002(1) पेज 648, आरआरटी 2016(2) पेज 1378 प्रस्तुत किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियांद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया गया कि अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा दिनांक 01.06.2012 को प्रदत निर्णय के विरूद्व न्यायालय वाला में 24.05.2017 को प्रस्तुत की है, जो करीब 5 साल बाद प्रस्तुत की गई है, जबकि कानून में अपील प्रस्तुत करने की मियाद 60 दिन निश्चित की हुई है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्पष्ट रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार म्याद बाहर प्रस्तुत हुई अपील को भले ही रेस्पोडेन्टान द्वारा आपत्ती नही करने पर भी स्वंय अदालत को इसी बिन्दु (मियाद के बिन्दु) पर खारिज करने का भार डाला गया है। क्योंकि धारा 3 के प्रावधान Mandatory है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय क समक्ष दिनांक 24.07.1990 को दावा प्रस्तुत किया गया था। काफी लम्बे समय तक पत्रावली तामिलो में रही। पक्षकार जानबुझकर मुकदमें को गंभीर नहीं लेता था। मुकदमे में जानबुझकर पैरवी नहीं करता था। वह व्यक्ति धारा 5 मियाद अधिनियम का फायदा लेने का हकदार नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.10.2010 को पत्रावली शहादत में नियत हुई। जिस पर अपीलांट जानबुझकर कोर्ट में हाजिर नही हुवें। दिनांक 24.11.2006 को दावा अदम हाजरी में खारिज हुवा। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2006 को दावा रेस्टोर किया गया तथा पत्रावली जिरह हेतु रखी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2007 को पुनः पत्रावली अदम हाजरी में खारिज की गई तथा दिनांक 31.01.2008 को पत्रावली पुनः रेस्टोर हुई। जिरह हेतु पत्रावली नियत की गई। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2009 को दावा फिर से अदम हाजरी में खारिज व दिनांक 01.08.2011 को पुनः पत्रावली रेस्टोर की गई। पत्रावली पुनः जिरह हेतु नियत की गई। इस प्रकार अदालत मातहत में अपीलान्ट वादी का दावा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

शहादत में पत्रावली आने के बाद सन् 2006 से सन् 2011 के मध्य तीन बार अदम हाजरी में खारिज किया गया। वादी स्वय हाजिर नही रहता बाद में कुछ समय खराब कर दावे को रेस्टोर करवाता एंव जानबुझकर शहादत जिरह हेतु गुरेज करता रहा है। इससे यह साबित रहा था कि वादी अपीलांट अपने स्वयं द्वारा प्रस्तुत दावा को विधि विरूद्ध तरीके से लम्बा कर रहा था। ऐसे पक्षकार को स्वयं अपने मुकदमे के प्रति सजग नही रहा उसे धारा 5 का फायदा नही दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम के अनुसार अपीलान्ट/वादी को दिनांक 25.04.2008 को शहादत हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 11.07.2008 को पूर्व में अन्तिम अवसर के बाद सौ रूपये की कॉस्ट पर एक और अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 12.12.2008 को कॉस्ट बढाकर एक अन्य अन्तिम अवसर दिया गया इसी कदर दिनांक 02.01.2009 के फर्द अहकाम के अनुसार वकील वादी के यह कहने पर कि वादी को पत्र दिया गया है अवसर प्रदान करें, न्याय हित में अन्तिम अवसर फिर दिया गया। एक ऐसा ही अवसर दिनांक 09.03.2012 को फिर से दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त फर्द अहकामो में वर्णित कथनो से यह स्पष्टतः गोचर रहा कि वादी अपीलान्ट गैर जिम्मेवार रहा। उसने जानबुझकर साक्ष्य पेश नहीं किया, ना ही अपने पर जिरह होने दी। और बड़ी बात तो तब हो गई जब अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 5 के प्रार्थना पत्र में उसने अपने ही एडवोकेट लक्ष्मीनारायण पर यह आरोप लगा दिया गया कि उनके मुकदमे के पैरवी के प्रति सजग नही रहें। ऐसा व्यक्ति न्यायालयवाला के समक्ष प्रस्तुत अपील में दफा 5 मियाद अधिनियम का फायदा किसी भी सुरत में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। साक्ष्य हेतु अपीलान्ट वादी को फर्द अहकाम के अनुसार सन् 2006 से सन् 2012 तक कुल 19 अवसर प्रदान किये गये। इन अवसरों पर वादी अपीलान्ट ने जानबुझकर अपने दावे को साबित करने हेतु शहादत प्रस्तुत नही की। दो बार कॉस्ट पर अवसर दिया गया इसके अलावा कई दफा अन्तिम अवसर, न्ययाहित में अन्तिम अवसर लिख–लिखकर अवसर प्रदान किये गये। इस कारण ऐसे व्यक्ति को दफा 5 का फायदा कानूनन नही दिया जा सकता है। अपीलांट अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मियाद बाहर प्रस्तुत हुई अपील में देरी को कन्डोन करनें के जो कारण लिखे है वोह संतोषप्रद कारण (Sufficent Cause) की श्रेणी में नही आते है। अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया गया था कि मानसिक बीमारी के चलते दयालूराम ने अपीलांट शिंभूराम को कभी यह बताया ही नही कि वह लापरवाही कर है। परन्तु सही स्थिति यह है कि अधीनस्थ न्यायालयमें दयालूराम क`अलावा चार अन्य पक्षकार भी वादी के रूप में संयोहित रहे है। इस कारण

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दयालूराम बीमार रहा था इस तथ्य को मान भी लिया जाये तो भी अन्य वादीगण अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर रहे थे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन करते हुए कहा कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये है वो संतोषप्रद कारण की परिभाषा में नही आते है। अपीलांट ने 5 वर्ष यानि 1835 दिन तक अपीलांट अपने तथाकथित अधिकारो के प्रति जागरूक नही थे तथा सोते रहे है उन्हे धारा 5 का फायदा नही दिया जा सकता है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण 25000/– की विशेष कोस्ट लगाकर खारिज किया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1964 पेज 338 बी, आरएलडब्ल्यु 2006 पेज 873, डब्ल्युएलएन 1984 पेज 520, आरआरडी 1955 पेज 252, डीएनजे 1999 पेज 56, सीसीसी 417, आरआरडी 1980 एनयुसी 20, आरआरटी 2014(1) पेज 154, आरआरटी 2011(1) पेज 614, आरआरटी 2007(2) पेज 939, आरबीजे (7) 2000 पेज 470, आरबीजे 2000 पेज 71, एआईआर 1998 एससी पेज 2276, आरआरडी 1995 पेज 456, एआईआर 1962 पेज 407 सी, डब्ल्यु एल एन 1981 पेज 343 प्रस्तुत किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को मियाद के बिन्दु पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 06–11–2024 द्वारा प्रकरण में मियाद के बिन्दू को सर्वप्रथम तय करने के निर्देश प्रदान किये गये थे जिसकी पालना में उभय पक्ष को मियाद के बिन्दू पर सुना गया।

न्यायालय द्वारा मियाद के सम्बन्ध में निम्नाकिंत बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है–

1– **क्या अपील अन्दर मियाद है अथवा नही?**
2– **क्या अपील पेश करने में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किये गये है अथवा नही?**
3– **क्या प्रकरण गुणावगुण पर इतना मजबूत है जिससे कि दीर्घकालीन विलम्ब पर गुणावगुण आधारित निर्णयन को वरियता दी जा सके?**

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–06–2012 को पारित किया गया जबकि हस्तगत अपील दिनांक 24–05–2017 को प्रस्तुत की गई है। निर्णय व डिक्री की अपील पेश करने हेतु 60 दिवस की अवधि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निर्धारित है। जबकि यह अपील **लगभग 05 वर्ष** पश्चात् प्रस्तुत की गई। अतः अपील मियाद अवधि के पश्चात् पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब कंडोन करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। न्यायालय को यह विचारण करना है कि क्या विलम्ब की अवधि अत्यधिक है अथवा नही? क्या अपीलांट द्वारा विलम्ब हेतु दर्शित कारण 'पर्याप्त कारण' है जिससे की न्यायालय का यह समाधान हो कि विलम्ब हेतु उत्तरदायी परिस्थितियॉ ऐसी थी, जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो।

इस हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार **(1) Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence.**

मियाद अधिनियम की धारा 5 के अनुसार–

"Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period, if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. "

उपर्युक्त प्रावधानो के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 3 मियाद अधिनियम के अनुसार न्यायालय मियाद से बाहर प्रस्तुत अपील को खारिज करेगा। वही धारा 5 यह प्रावधित किया गया है कि यदि अपील में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा यदि संतोषप्रद कारण बताया जाता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। संतोषप्रद कारण क्या है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1955 पेज संख्या 252 में यह अवधारित किया गया है कि–

"We have heard the learned counsel appearing for the parties and have gone through the recoed as well. It is ture that an appellate court is to exercise its own discretion while dealing with the question as to whether a " sifficient cause" for the delay under section 5 of the Indian Limitation Act exisits or not. But it is a general principle of law that discreationary power must be exercised on judicial principles and not" in any arbitrary vague or fanciful manner." The term " Sufficient cause" has not been defined anywhere in the Indian Limitation Acts, but it has been held that it

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

must mean a cause which is beyond the control of the party invoking the aid of the section. Necessarily it follows that a case for delay which by due care and attention could have been avoided cannot constitute a sufficient cause."

अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में यह कारण अभिलिखित किया है कि मानसिक बीमारी के चलते दयालुराम ने अपीलांट शिम्भूराम को निर्णय के संबंध में नही बताया। साथ ही अपीलांट के वकील द्वारा अपीलांट को निर्णय के संबंध में जानकारी नही दी। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में दयालुराम के अलावा अन्य पक्षकार भी वादी के रूप में संयोजित थे। अपीलांट का यह कथन मानने योग्य नही है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को वाद की पैरवी करने हेतु जिम्मेदारी दी गई थी और उसने अन्य पक्षकारो को इसकी जानकारी नही दी। अपीलांट द्वारा विलम्ब का अन्य कारण अभिभाषक द्वारा जानकारी नही देना बताया है परन्तु पत्रावली पर संबंधित अभिभाषक का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सूरत में धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित विलम्ब के कारण पर्याप्त कारण की श्रेणी में नही आते है। अपीलांट विलम्ब अवधि के संबंध में ऐसा कोई कारण दर्शित करने में असफल रहे है जिससे कि यह साबित हो कि विलम्ब की परिस्थिति अपीलांट के नियंत्रण से बाहर थी।

अपीलांट द्वारा लगभग 5 वर्ष की दीर्घकालीन विलम्ब अवधि के पश्चात् हस्तगत अपील पेश की है। न्यायालय को इस तथ्य पर विचारण करना है कि क्या प्रकरण में गुणावगुण को विलम्ब पर वरियता दी जा सकती है अथवा नही? पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित आदेशिकाओं के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट/वादी अधीनस्थ न्यायालय में भी गंभीर पक्षकार नही रहे है। अपीलांट/वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24–11–2006, दिनांक 30–11–2007 तथा दिनांक 23–01–2009 को अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका था। इससे यह प्रकट होता है कि अपीलांट/वादी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही होता था एवं अपने वाद के प्रति गंभीर पक्षकार नही था।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25–04–2008 के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में साक्ष्य वाद हेतु अंतिम अवसर दिया गया था इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 12–12–2008 द्वारा 100/–रू. की कोस्ट पर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

एक अंतिम अवसर दिया गया। आदेशिका दिनांक 02–01–2009 तथा 16–01–2009 द्वारा भी अंतिम अवसर दिये जाने के पश्चात् भी साक्ष्य वादी हेतु अवसर दिये गये। आदेशिका दिनांक 09–03–2012 में यह अंकित किया गया कि 4 वर्षों से अधिक समय अवधि से साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जा रहा है न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है।

इस प्रकार अपीलांट/वादी द्वारा पर्याप्त से भी अधिक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–06–2012 द्वारा वाद वादी खारिज किया गया।

अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 01–06–2012 की अपील लगभग 5 वर्ष पश्चात् पेश की गई है। विलम्ब की यह अवधि अत्यधिक है। विलम्ब के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नही किया गया है जिससे यह न्यायालय को यह समाधान हो कि यह विलम्ब के संबंध में पर्याप्त कारण है और विलम्ब की परिस्थितियॉ अपीलांट के नियंत्रण से बाहर थी। प्रकरण गुणावगुण पर भी इतना मजबूत नही है कि विलम्ब की इस दीर्घकालीन अवधि को न्यायहित में क्षमा किया जा सके। मियाद अधिनियम के प्रावधान औपचारिकता मात्र नही है। विलम्ब हेतु प्रत्येक दिन का कारण दर्शित करना जरूरी है। 05 वर्ष विलम्ब की अवधि एक दीर्घ अवधि है। परिसीमा अधिनियम के सिद्धान्त उदार तरीके से काम में लिये जाने चाहिए परन्तु इसका अर्थ यह नही होता है कि कोई पक्षकार अपने अधिकारो के प्रति जागरूक नही रहे। न्यायिक दृष्टांत सुमेरसिंह बनाम मेसर्स पुष्पा मोटर्स व अन्य आरएलडी 2000 (2) पेज 258 यहॉ पूर्णतया चस्पा होते है।

विलम्ब की अत्यधिक अवधि (05 वर्ष) एवं इस दीर्घ अवधि के विलम्ब के संबंध में पर्याप्त/संतोषप्रद कारण न होने से इसे अन्दर मियाद शुमार नही किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु. 2008 (2) आर.जे. पेज संख्या 949 के आलोक में जहॉ अपील मियाद बाहर हो वहॉ गुणावगुण पर विचार नही किया जा सकता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते